न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—452/2014/223 आर.टी.एक्ट (2014/00452)

1. हनुमानदास पुत्र भूरादास जाति स्वामी निवासी बालापुरा तन नोरंगपुर तहसील मौजमावाद जिला जयपुर राज0 **मृतक**
   - 1/1 श्योनारायदास पुत्र स्व0 हनुमानदास जाति स्वामी निवासी बालापुरा तहसील मौजमावाद जिला जयपुर राज0
   - 1/2 दुर्गादास पुत्र स्व0 हनुमानदास जाति स्वामी निवासी बालापुरा तहसील मौजमावाद जिला जयपुर राज0
   - **1/3 गोपी देवी** पुत्री स्व0 हनुमानदास जाति स्वामी निवासी बालापुरा तहसील मौजमावाद जिला जयपुर राज0
   - 1/4 हंसा देवी पुत्री स्व0 हनुमानदास जाति स्वामी निवासी बालापुरा तहसील मौजमावाद जिला जयपुर राज0
   - 1/5 कमला देवी पुत्री स्व0 हनुमानदास जाति स्वामी निवासी बालापुरा तहसील मौजमावाद जिला जयपुर राज0
   - 1/6 सरोज देवी पुत्री स्व0 हनुमानदास जाति स्वामी निवासी बालापुरा तहसील मौजमावाद जिला जयपुर राज0
   - 1/7 लाली देवी पुत्री स्व0 हनुमानदास जाति स्वामी निवासी बालापुरा तहसील मौजमावाद जिला जयपुर राज0

2. रामकरण दास पुत्र भूरादास जाति स्वामी निवासी बालापुरा तहसील मौजमावाद जिला जयपुर राज0

अपीलांटस

बनाम

1. बजरंगदास पुत्र भूरादास जाति स्वामी निवासी बालापुरा तन नोरंगपुर तहसील मौजमावाद जिला जयपुर राज0 **मृतक**
   - 1/1 कैलाश पुत्र स्व0 बजरंगदास जाति स्वामी निवासी बालापुरा तहसील मौजमावाद जिला जयपुर राज0 **मृतक**
   - 1/1/1 श्रीमती शांति पत्नी कैलाश जाति स्वामी निवासी बालापुरा तहसील मौजमावाद जिला जयपुर राज0
   - 1/2 मंगला पुत्र बजरंगदास जाति स्वामी निवासी बालापुरा तहसील मौजमावाद जिला जयपुर राज0
   - 1/3 रामनिदास पुत्र बजरंगदास जाति स्वामी निवासी बालापुरा तहसील मौजमावाद जिला जयपुर राज0
   - 1/4 महावीर पुत्र बजरंगदास जाति स्वामी निवासी बालापुरा तहसील मौजमावाद जिला जयपुर राज0
   - 1/5 बसंती पत्नी बजरंगदास जाति स्वामी निवासी बालापुरा तहसील मौजमावाद जिला जयपुर राज0 **(मृतक नाम हजफ)**
   - 1/6 सुंदर पुत्री बजरंगदास पत्नी सुवा जाति स्वामी निवासी बालापुरा हाल निवासी गोली तहसील अराई जिला अजमेर राज0 **मृतक**
   - 1/6/1 भंवरलाल पुत्र सुंदर देवी जाति स्वामी निवासी गोली तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 मृतक
   - 1/6/1/1 श्रीमती कोशल्या देवी पत्नी भंवरलाल जाति स्वामी निवासी गोली तहसील अराई हाल निवासी तुंदेडा तहसील मालपुरा जिला टोक राज0

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

1/6/1/2 राजू पुत्र भंवरलाल जाति स्वामी निवासी गोली तहसील अंराई हाल निवासी तुंदेडा तहसील मालपुरा जिला टोकं राज0

1/6/1/3 राहुल पुत्र भंवरलाल जाति स्वामी निवासी गोली तहसील अंराई हाल निवासी तुंदेडा तहसील मालपुरा जिला टोकं राज0

1/6/2 महावीर पुत्र सुवा जाति स्वामी निवासी गोली तहसील अंराई हाल निवासी मेहनत नगर, मदनगंज थाने के पास किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/6/3 रामचंद्र पुत्र सुवा जाति स्वामी निवासी गोली तहसील अराई हाल निवासी मेहनत नगर, मदनगंज थाने के पास किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/6/4 गणेश पुत्र सुवा जाति स्वामी निवासी गोली तहसील अराई हाल निवासी मेहनत नगर, मदनगंज थाने के पास किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/6/5 नोरत पुत्र सुवा जाति स्वामी निवासी गोली तहसील अराई हाल निवासी मेहनत नगर, मदनगंज थाने के पास किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/6/6 सत्यनारायण पुत्र सुवा जाति स्वामी निवासी गोली तहसील अंराई हाल निवासी मेहनत नगर, मदनगंज थाने के पास किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/6/7 धन्नी पुत्री सुवा जाति स्वामी निवासी गोली तहसील अराई हाल निवासी मेहनत नगर, मदनगंज थाने के पास किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/6/8 माया पुत्री सुवा जाति स्वामी निवासी गोली तहसील अराई हाल निवासी मेहनत नगर, मदनगंज थाने के पास किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/6/9 पार्वती पुत्री सुवा जाति स्वामी निवासी गोली तहसील अराई हाल निवासी मेहनत नगर, मदनगंज थाने के पास किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/7 सोनी पुत्री बजरंगदास पत्नी किशोर स्वामी जाति स्वामी निवासी भांवसा तहसील अराई जिला अजमेर राज0

1/8 प्रेम पुत्री बजरंगदास पत्नी छगनदास जाति स्वामी निवासी भांवसा तहसील अराई जिला अजमेर राज0।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलक्टर, सांभर, दिनांक 12.04.1989, वाद संख्या 137/1988.

उपस्थितः–

1. श्री उदय सिंह चौधरी, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री सुरेन्द्र शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/6/1 से 1/6/6, 1/7, 1/8.
3. श्री वी.एल.शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1/1, 1/2, 1/3, 1/4.
4. रेस्पोडेंट संख्या 1/6/7, 1/6/8, 1/6/9 अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः–26.08.2022

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, सांभर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.1989, वाद संख्या 137/1988 में पारित आदेश दिनांक 17.09.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद बाबत इस्तकार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि वादी एकवं प्रतिवादीगण अपीलांटस आपस में सगे भाई है परंतु बीसों वर्षो से अलग रहते हैं व अलग–अलग काश्त करते हैं वादी की तन्हा खातेदारी की आराजी व कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 113/5, 126/2, 139/3, 376/2, 376/669 कुल किता 5 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम नोरंगपुरा पटवार क्षेत्र मांगलवाडा में स्थित है जिस पर हमेशा से आज तक वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है जो वादी की सेल्फ एक्वायरड संपत्ति है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को हड़प करने की चेष्टा कर रहे हैं। धोखे से वादी के काब्ज पर प्राप्त किए गए हस्ताक्षरों का नाजायज फायदा उठाने का प्रयास कर रहे है और फर्जी डिक्री प्राप्त कर लेना जाहिर करते है। दिनांक 5.4.1988 को बलपूर्वक वादी को बेदखल करने का प्रयास किया व वादी के अधिकारों को चुनौती दी अतः यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। अन्त में निवेदन किया कि वाद वादी स्वीकार कर डिक्री करावें। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, सांभर ने बाद कार्यवाही वाद वादी दिनांक 12.04.1989 को स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने उक्त आदेश की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के द्वारा अपील को दिनांक 15.05.1996 को अपील अपीलांट 4 साल 06 माह 2 दिन देरी से पेश किये जाने के कारण बेरून मयाद मानते हुए खारिज कर दी। उक्त आदेश की अपील अपीलांट ने मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 24.07.2003 द्वारा निगरानी को स्वीकार कर को प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर को प्रतिप्रेषित किया गया है कि उपरोक्त विश्लेषण को मध्य नजर रखते हुए, पक्षकारो को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार निर्णय करें। राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के द्वारा उक्त प्रकरण दिनांक 24.11.2014 को विवादित भूमि का क्षेत्र दूदू होने के कारण प्रकरण न्यायालय हाजा को स्थानान्तरित किया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1/1, 1/2, 1/3, 1/4 को सुना गया एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/6/1 से 1/6/6, 1/7, 1/8 उपस्थित नही हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम बहस प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि हनुमानदास ने अपील दिनांक 12.4.1989 के आदेश के खिलाफ पेश की है। अपील दिनांक 14.10.1993 को पेश की गई है। दिनांक 12.10.1993 को नकल का प्रार्थना पत्र दिया एवं दिनांक 12.10.1993 को ही नकल मिल गई। नकल मिलते ही दिनांक 14.10.1993 को अपील प्रस्तुत कर दी। अपील हनुमानदास तथा रामकरण दो व्यक्तियों की ओर से है तथा बजरंगदास के खिलाफ है। रामकरणदास की मृत्यु हो गई उसके कायममुकाम का प्रार्थना पत्र मंजूर हो चुका है। मूल दावे का हवाला देते हुए विद्वान अभिभाषक ने बहस की कि दावा बजरंगदास ने पेश किया था। हनुमानदास तथा रामकरणदास प्रतिवादी थे। दावे में बजरंगदास ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

विवादास्पद भूमि को खातेदारी की घोषित करने के लिए प्रार्थना की है। दावा दिनांक 12.4.1988 को किया गया था। प्रतिवादीगण पर सम्मत तामील नहीं हुआ। दिनांक 25.1988 को पुनः तलबी के आदेश दिए गए। दिनांक 14.7.1988 को वकालतनामा पेश हुआ । अब्दुल हक तथा उनके लड़के शमीम का वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकील हाजिर हुए परंतु वास्तव मे न तो प्रतिवादीगण ने कोई वकील किया था। उनका झूठा अंगूठा लगवाकर वकालतनामा पेश कर दिया। इस बात को सिद्ध करने के लिए न्यायालय में मैंने प्रार्थना पत्र लगाया और उस प्रार्थना पत्र पर फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट दिनांक 4.7.1995 की है। रिपोर्ट के मुताबिक रामकरण का अंगूठा नहीं मिलता रामकरण की मृत्यु दिनांक 12.9.1994 को हो गई इसलिए दोनों के अंगूठा निशानी की कोपी व देकर कंपेयर करवाया गया। इस मामले में रामकरण भी पार्टी था, उन्होने कहा है कि दिनांक 30.09.1982 को पक्षकारान में राजीनामा हो गया। उसी राजीनामा को आधार पर दिनांक 08.09.1982 को दावा डिक्री हो गया। उस डिक्री की अनुपालना में रेकार्ड में भी अमल दरामद हो गया। वकील द्वारा सम्मन तथा दावे की प्रति पेश नहीं की है। यदि पक्षकारान क खिलाफ एक तरफा कार्यवाही हो गई थी वकील की जवाबदारी बनती है कि वे इस बात की इतला अपने मुवक्किल को देते। नये दावे में रेस ज्यूडीकेटा के बारे में विरोधीपक्ष ने कुछ प्रश्न ही नही कहा है ना ही पुराने दावे का कोई हवाला दिया है। वोईड आर्डर के खिलाफ अपील करने के लिए कोई मयाद नही है। इस बारे में उनका यह भी कहना था कि अपीलाधीन आदेश वोईड आदेश है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर नियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.09.1988 में स्वयं अपीलांट हनुमानदास का हाजिर है इसलिए उस कोर्ट की आदेशिका को किसी भी हालत में झूंठी नही माना जा सकता है। हनुमानदास के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने और हनुमानदास के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने से यह प्रमाणित होता है कि उनको दावे के बारे में पूर्ण ज्ञान था। साथ ही ऐसी गलती के लिए उन्हे अवधि का फायदा नहीं दिया जा सकता। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी को जवाब दावा प्रस्तुत करने का मौका नही दिया गया तथा उनके अभिभाषक द्वारा दिनांक 13.10.1988 को वर्तमान रेस्पोडेन्ट के वकील ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड जाहिर करने के कारण दावें में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वाद का निस्तारण किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद का निस्तारण एक तरफा में किया गया है जो विधि सम्मत नही है, क्योंकि अधिवक्ता की गलती का नुकसान पक्षकारान को नहीं होना चाहिए। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार किया जावें।

विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब/बहस निवेदन किया कि तन्हा वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बरान 113/5 रकबा 1 बीघ 16 बिस्वा, 126/2 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, 139/3 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 376/2 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, 376/669 रकबा 9 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

वाकै ग्राम नोरगंपुरा तहसील दूदू में स्थित है। जिस पर हमेशा से आज तक कब्जा काश्त तन्हा वादी का चला आ रहा है जो वादी की सेल्फ एक्वायरड सम्पत्ति है जिससे प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध ना तो कभी था और ना अब है। वादी ही लगान करता आ रहा है। प्रतिवादीगण ने आपस में साज करके वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की उक्त भूमि वर्णित मद नम्बर 02 वाद पत्र को हड़प करने की चेष्टा की है और वादी के धोके से कागज पर प्राप्त किए गए हस्ताक्षरों का नाजायज फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं और एक फर्जी डिक्री प्राप्त कर लेना जाहिर करते हैं। प्रतिवादी नम्बर 1व प्रतिवादी नम्बर 02 की साजिश से बदनियती के कारण भूमि वर्णित मद नम्बर 02 वाद पत्र को स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के यहां रहन रखकर ऋण प्राप्त करने की फिराक में है तथा वादी के खातेदारी अधिकारों को चुनौती देते है और वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने लगे हैं और वादी को बेदखल करने की धमकियां देने लगे है। प्रतिवादी ने वादी को उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि वर्णित मद नम्बर 02 वाद पत्र से बलपूर्वक बेदखल करने का प्रयास किया तथा इस भूमि को किसी बैंक के यहां गिरवी रखकर ऋण प्राप्त कर लेने की धमकियां दी जिससे वादी की सख्त हकतलफी है तथा वादी के अधिकारों को क्षति पहुंचने का पूर्ण अंदेशा है तथा अनेक प्रकार की मुकदमे बाजी बढ जाने का अंदेशा है इसलिए दावा हाजा दायर करना आवश्यक हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने आदेश में यह माना है कि विवादित आराजी पर हमेशा से आज तक कब्जा काश्त तन्हा वादी का चला आ रहा है और वादी की सेल्फ एक्वायरण सम्पति है, जिस पर प्रतिवादीगण का कभी कोई सम्बन्ध नही रहा है तथा गवाहान के बयानों से साबित पाया है तथा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य से भी वादी का वाद साबित होने से विधि सम्मत निर्णय पारित किये है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज फरमायी जावें। विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र व न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मियाद अधिनियम बाबत् मान्नीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश आर.आर.टी. 2008(2) पेज 1183 में यह प्रतिपादित किया है कि:–"Without considering the merits of the case, dismissal in the ground only limitation is not proper." एवं मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने कोरोना काल एवं लोकडाउन के दौराने हुए विलम्ब को साधारणतया विलम्ब नहीं मानकर प्रकरणों में गुणावगुण पर निर्णय पारित करने की व्यवस्था दी है, इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त भूमि बाबत् दिनांक 12.04.1988 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र में प्रतिवादीगण की ओर से नियुक्त अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किये जाने के कारण दावें में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वाद को स्वीकार किया गया है। न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पारित किया जाना चाहिए। अपीलांट/प्रतिवादी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद–पत्र में प्रतिवादी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला है।इस प्रकार अभिभाषक द्वारा की गलती की सजा अपीलांटस को नहीं मिलनी चाहिए। उच्चतर न्यायालयों द्वारा भी यह प्रतिपादित किया गया है कि अभिभाषक की गलती का खामियाजा पक्षकारान को नहीं होना चाहिए तथा प्रकरणों का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावें न की तकनीकि आधार पर किया जावें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित का निस्तारण एक तरफा में किया गया है जो विधि सम्मत नही है, अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि सभी पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, पुनः वाद का निस्तारण करें।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय दिनांक 12.04.1989 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे सभी पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, पुनः वाद का निस्तारण करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.9.2022 को उपस्थिति होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 26.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर